न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2016/05 दायर दिनांक 12.5.2016

आवेदक		अनावेदकगण
1. घासीराम पुत्र श्री चतर भुज निवासी तोषीणा डीडवाना।	बनाम्	1. देदाराम पुत्र रामचन्द 2. मिश्रीलाल पुत्र रामचन्द्र 3. सुशीला बैवा हेतूराम 4. डूंगाराम पुत्र हेतूराम 5. मेवाराम पुत्र हेतूराम 6. गणेशाराम पुत्र हेतूराम नाबालिगं सरक्षंक माता सुशीला कौम गिंवार, 7. प्रभूराम पुत्र चौथूराम कौम नायक निवासी थेबडी। 8. परसाराम पुत्र उगमाराम 9. जयपाल पुत्र उगमाराम 10. बिहारी पुत्र उगमाराम सुन्दरलाल वल्द प्रभात नाबालिगं वलिया मु मनभरी बैवा प्रभात कौम गीवार तोषीणा तह. डीडवाना।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) **R.T. Act.**

उपस्थितः—

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 06.07.2017

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, मैं आपके उपखण्ड में खातेदारी काश्तकार हूं तथा अपने संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 618 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा जो मौजा तोषीणा मे स्थित है, उक्त खसरा नम्बर 618 मे वर्तमान मे हमारे खेत तक पहूंचने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिस हेतु नये रास्ता के लिए आवेदन कर रहे है। अत. राज0 काश्त0 अधिकारी 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अर्न्तगत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है। खसरा नम्बर 618 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी के हक की भूमि है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद तामील के न्यायालय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागोर)

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना ने पत्र क्रमांकः राजस्व/धारा 251ए/14/782 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 618 वाकै सरहद तोषिणा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.07.2017 के अनुसार मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी में लाल स्याही से दर्शित लाईन को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर संबंधित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **06.07.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner